# अध्याय-7
# श्रम कल्याण

7.1 सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से वैधानिक ढांचे के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के अधिकांश कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई है। तथापि, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को इस प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है जो कुल कार्यबल का लगभग 93 प्रतिशत है । श्रम कल्याण निधि की अवधारणा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों को प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित की गई थी । इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा बीड़ी उद्योग में नियोजित कामगारों, कतिपय गैर-कोयला खानों और सिने कामगारों के लिए आवास, चिकित्सा, शिक्षा और मनोरंजनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पाँच कल्याण निधियां गठित करने हेतु अलग से विधान अधिनियमित किए गए हैं । इन निधियों का संचालन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है ।

7.2 कल्याण निधियों की योजना नियोजक और कर्मचारी के विशिष्ट संबंधों के ढाँचे से अलग है क्योंकि गैर-अंशदायी आधार पर सरकार द्वारा स्रोत जुटाये जाते हैं व कल्याण सेवाएं प्रदान किया जाना अलग-अलग कामगारों के अंशदान की सम्बद्धता से प्रभावी नहीं होता है। कल्याण, निधियों की सैक्टोरियल पहुंच अनेक गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अतिरिक्त है, जिनकी क्षेत्रीय पहुँच है और जिनके लिये इनमें से अधिकांश कामगार भी पात्र हैं ।

## श्रम कल्याण निधियाँ

7.3 श्रम मंत्रालय बीड़ी और सिने कामगारों एवं गैर कोयला खान कामगारों की कतिपय श्रेणियों के लिए पाँच कल्याण निधियां संचालित कर रहा है। इन कामगारों के कल्याण के लिए निधियाँ संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के अधीन स्थापित की गई हैं:-

- अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1946;
- चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1972;
- लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976;
- बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976; और
- सिने कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1981

7.4 उपर्युक्त अधिनियमों में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निधि का उपयोग उन उपायों तथा सुविधाओं के संबंध में किए गए व्यय को पूरा करने के लिए किया जा सकता है जो ऐसे कामगारों के कल्याण का प्रावधान करने के लिए आवश्यक हों । उपर्युक्त अधिनियमों में निर्धारित उपर्युक्त लक्ष्यों को प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, आवास, मनोरंजन और जल-आपूर्ति के क्षेत्र में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं तैयार की गयी हैं और वे संचालित की जा रही हैं ।

7.5 वर्ष 2004-05 के दौरान, बीड़ी कामगारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत, बीड़ी कामगारों और उनके आश्रितों को अंतरंग तथा बहिरंग दोनों चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए इच्छुक सभी राज्य

सरकारें/कर्मचारी राज्य बीमा निगम/बीड़ी कामगार आवासीय सहकारी सोसाइटियाँ/ विख्यात गैर-सरकारी संगठन/ केन्द्रीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों को अपनी मौजूदा संरचना के निर्माण या विस्तार करने के लिए वे एक ही बार में 2.0 करोड़ रुपये या अस्पताल भवन के निर्माण की वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या चिकित्सा उपस्कर की लागत सहित, जो भी कम होगी, के लिए पात्र होंगे। इसी तरह चिकित्सा/लेपरोस्कोपिक उपस्कर और अनुषंगी से सुसज्जित एम्बुलेंस/मोबाइल वेन हेतु की खरीद के लिये एक ही बार में 4.0 लाख रुपए की सीमा तक या कुल लागत का 75 प्रतिशत या वास्तविक लागत, जो भी कम होगी, का सहायता अनुदान उपलब्ध है । वे बीड़ी कामगारों तथा उनके आश्रितों को आपूर्ति की गई दवाईयों की राशि के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र होंगे । यह राशि 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष या वास्तविक राशि का 75 प्रतिशत जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों की क्रेडिट आधार पर हृदय, गुर्दा और कैंसर बीमारियों के संबंध में खान/बीड़ी/सिने कामगारों को विशिष्ट इलाज मुहैया कराने हेतु पहचान की गई है ताकि लाभ भोगियों को अस्पतालों में बिना किसी अग्रिम राशि का भुगतान किए मंहगा इलाज कराने में सक्षम बनाया जा सके।

श्रम कल्याण संगठन के अंतर्गत कल्याण आयुक्तों को 2.00 लाख रुपये तक मेडिकल क्लेम के प्रतिपूर्ति की शक्तियां प्रदान की गई है।

7.6 वर्तमान एकीकृत भवन स्कीम , 2004 को सरलीकृत तर्कपूर्ण और विकेन्द्रीकृत बनाया गया है तथा बीडी कामगारों आदि के लिए इसके स्थान पर एक नई स्कीम नामतः संशोधित एकीकृत आवास स्कीम, 2005 को प्रायोगिक आधार पर प्रतिस्थापित किया गया है। जिसे 27.5.2005 से कार्यान्वित किया गया है। एक बीड़ी कामगार को अन्य एकीकृत आवास स्कीम, 2004 के अंतर्गत 40,000/- रुपये देने के बजाए अपने आवेदन पत्र के साथ कामगार के अंशदान के रूप में 5000/-रुपये का अंशदान देना होगा; और उसकी एक वर्ष की सेवा होने के साथ-साथ अपने नाम या अपने पति/पत्नी के नाम एक जमीन का खण्ड होने पर तथा परिवार की आय 6,500/-रुपये होने पर घर का निर्माण किरने के लिए प्रति कामगार प्रत्येक मकान के लिए 40,000/- रुपये की एक समान अधिक सहायता पाने का हकदार होगा। आर्थिक सहायता संबंधित जिलाधीश/उपायुक्त राज्य सरकार के माध्यम से हकदार हितलाभाधिकारियों को 20,000/- रुपये प्रत्येक की दो बराबर किश्तों में दिया जाएगा। प्रथम किश्त प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद दी जाएगी और दूसरी किश्त छत तक निर्माण होने पर दी जाएगी। स्कीम का लाभ- लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क चूना तत्थर अयस्क और डोलोमाइट अयस्क खानों तथा अभ्रक अयस्क खानों में कार्यरत कामगारों को भी उपलब्ध होंगे।

7.7 इनके अतिरिक्त खान कामगारों के लिए टाइप-। और टाइप-।। आवास स्कीम के अंतर्गत खान प्रबंधकों के प्रति निवास इकाई के लिए क्रमशः 40,000/-रुपये और 50,000/- रुपये की दर से आर्थिक सहायता या प्रत्येक मकान के वास्तविक निर्माण की लागत का 75 प्रतिशत जो भी कम हो, मंजूर किया जाएगा।

**माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 01सितम्बर, 2006 को सोलापुर में महिला बीड़ी कामगारों के 10.000 मकानों को सौपनें का समारोह**

बीड़ी कामगारों के कल्याण क्रियाकलापों को 1000 बीड़ियों पर 5/- रु. की दर से बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि

(बी.डब्ल्यू.डब्ल्यू एफ) के अंतर्गत उपकर वसूलियों से पूरा किया जाता है। बीड़ी पर उपकर की दर को पिछले दो वर्षों के दौरान 1000 बीड़ियों पर 2/-रु. से बढ़ाकर 5/-रुपये कर दिया है। पिछले 13 वर्षों के दौरान वर्ष 1993-94 से एकीकृत अवास योजना और संशोशित एकीकृत आवास योजना (आर आई एच एस), 2005 के अंतर्गत 1.25 लाख मकानों से अधिक की संस्वीकृत की गई है। इस समय, बीड़ी कामगारों द्वारा मकान निर्माण के लिए उपलब्ध ऑथक सहायता 40,000/रुपये है। पूर्ववर्ती योजना के अंतर्गत, मकान आर्थिक सहायता के रूप में प्रति घर 20,000/-रुपये की राशि प्रदान की जाती थी ।

महाराष्ट्र विधान सभा में एक विधायक सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री नरसय्या आदम के मार्गदर्शन में श्रीमती मंगला होतगी श्रीमती शशिकला पानिभाटे, श्रीमती फातिमा फरीद बेग और सुश्री नसीमा गुडु भाई शेख द्वारा की गई पहल के फलस्वरूप, कामरेड गोडुताई, पारूलकर महिला बीड़ी कामगार सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादि ए/बी/सी/ को मैसर्स पान्दे कानटेक्ट (प्रा.) लि. सोलापुर द्वारा महिला सहकारी समिति के सदस्यों को 10,000 मकान दिए जाने के लिए सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किया गया जिन्हें इस परियोजना के निष्पादन के लिए डेवलपर के साथ में नियुक्त किया गया था ।

यह परियोजना शायद अपने किस्म की पहली परियोजना है ओर सहकारी क्षेत्र में सार्वजनिक निजी संबंध का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अन्य सुविधाओं के साथ 10,000 मकानों के निर्माण के लिए 400 एकड भूमि क्षेत्र (लगभग) डेवलपर द्वारा खरीदी गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस मेगा-प्रोजेक्ट को वर्ष 2000 में प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया था। तीन महिला सहकारी समितियों के लिए हर तरह से पूर्ण और खुले क्षेत्र, पार्कों, पहुंच सड़कों आदि जैसी सुविधाओं से मुक्त 10,000 मकानों को डेबलपर समितियों को सौंपेगी। वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए निर्धारित बाकी क्षेत्र डेबलपर की सम्पत्ति होगी । इस प्रकार बीड़ी कामगारों को अत्यधिक कम लागत पर अपने नाम से जमीन और मकान मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा डेबलपर द्वारा किफायती रूप में 10000 मकानों के बनवाने से है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने जलापूर्ति के लिए जल भंडारण प्रणाली (ओवर हेड टैंक तथा अन्डर ग्राउन्ड टैंक) की व्यवस्था भी है/ राज्य सरकार कम्भारी से नीलमनगर तक मुख्य सड़क , अंदरूनी सड़कों/ गलियों/ लेनों, बाह्य विद्युतीकरण, स्ट्रीट लाइटों तथा 375 लाख रुपये की राशि से 33/11 के वी का वर्क सब-स्टेशन (संस्थापित),972 लाख रुपये राशि की जलापूर्ति लाइन स्कीम (पूर्व) जलापूर्ति पाइप लाइनों आदि ऐसी सभी बुनियादी सुविधाएं पूरा करने की प्रक्रिया कर रही है।

प्रति आवास इकाई लागत 64,965/-रुपये आंकी गई थी, जिसमें से केन्द्रीय अनुदान के रूप में मंत्रालय का हिस्सा 20,000/-रुपये है राज्य सरकार का हिस्सा 20,000/-रुपये है और बीड़ी कामगार शेष राशि का अंशदान करेंगे। प्रत्येक आवास इकाई का निर्माण 23.70 वर्गमीटर बिल्ट अप एरिया के साथ 51.66 वर्ग मीटर क्षेत्र पर निर्माण किया जा रहा है जिसमें एक शयन कक्ष रसोई घर और डब्ल्यू सी होगा। 10,000 मकानों में से, अब तक 8204 मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और बाकी 1796 मकान निर्माण के विभिन्न चरण में हैं। भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने शोलापुर में साइट पर 01 सितम्बर, 2006 को इस आयोजित शुभ अवसर पर महिला लाभभोगियों को 5 (पांच) मकान सौंपे । अब तक, 17.40 करोड़ रुपये की केन्द्रीय आर्थिक सहायता

सोसाइटी को जारी की गई है। सोसायटीको इतनी ही राशि की आर्थिक सहायता महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा भी प्रदान की गई है।

7.8 श्रम कल्याण संगठन जो इन निधियों का संचालन करता है उसके प्रमुख महानिदेशक (श्रम कल्याण)/संयुक्त सचिव हैं। उन्हें इन निधियों के संचालन में सहायता के प्रयोजन से कल्याण आयुक्त (मुख्यालय) हैं जो नौ क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त का पर्यावेक्षण करते हैं। प्रत्येक कल्याण आयुक्त के क्षेत्राधिकार को सारणी 7.1 में दर्शाया गया है।

**सलाहकार समितियां और उनकी बैठकें**

7.9 उपर्युक्त निधियों के संचालन से संबंधित मामलों में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए संबंधित कल्याण निधि अधिनियमों के अधीन त्रिपक्षीय केन्द्रीय सलाहकार समितियाँ गठित की गई हैं। इन समितियों की अध्यक्षता केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा नामित अध्यक्ष करते हैं। बीड़ी कामगार कल्याण निधि और सिनेमा कामगार कल्याण निधि में 21 सदस्य होते हैं, केन्द्रीय सरकार, नियोजकों के संगठनों और कर्मचारी संगठनों से, प्रत्येक से 7 सदस्य लिए जाते हैं और लौह अयस्क मैगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि तथा चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि की केन्द्रीय सलाहकार समिति और बीड़ी कामगार कल्याण निधि की केन्द्रीय सलाहकार समिति में 18 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष व सचिव को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार, नियोजकों के संगठनों व कर्मचारी संघों से, प्रत्येक से 6 सदस्य लिए जाते हैं ।

7.10 सिनेमा कामगार कल्याण निधि की केन्द्रीय सलाहकार समिति, बीड़ी कामगार कल्याण निधि और लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क,क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि की और केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन 29 मार्च, 2006 23 जून 2006 और 26 जून,2006 को किया गया।

**उपकर लगाना**

7.11 श्रम कल्याण निधियों का वित्त पोषण, विनिर्मित बीड़ी, फीचन फिल्मों, अभ्रक निर्यात, चूना पत्थर और डोलोमाइट उपभोग तथा लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क उपभोग और निर्यात पर संबंधित उपकर/निधि अधिनियमों के अंतर्गत नीचे दर्शाई गई दरों के अनुसार लगाए गए उपकर की आय से किया जाता है:-

- बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1976 के अधीन विनिर्मित बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क के रूप में 1 रुपये से 5 रुपये प्रति हजार विनिर्मित बीड़ियों पर उपकर लेने की व्यवस्था है। अब 1.4.2006 से 1000 विनिर्मित बीड़ी पर शुल्क 5 रुपये है ।
- सिने कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1981 के अधीन अध्यक्ष, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को प्रत्येक फीचर फिल्म प्रस्तुत किए जाने पर कम-से-कम एक हजार रुपये उत्पाद शुल्क निर्धारित किया गया है। इस उत्पाद शुल्क की अधिकतम सीमा बीस हजार रुपये से अधिक नहीं हो सकती। 20.04.2001 से प्रत्येक हिन्दी और अंगरेजी फीचर फिल्म के लिए यह 20,000 रुपये और क्षेत्रीय फिल्मों के लिए 10,000 रुपये प्रति फिल्म है ।
- लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क, खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 में लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क के लिए क्रमशः 50 पैसे से एक रुपया तथा एक रुपये से 6 रुपये और 3 रुपये से 6 रुपये के बीच उपकर की व्यवस्था है । से

लौह अयस्क पर उपकर की दर 1 रुपये प्रति मीट्रिक टन है । 11.09.2001 मैंगनीज अयस्क पर यह 4 रुपये प्रति मीट्रिक टन और क्रोम अयस्क पर 6 रुपये प्रति मीट्रिक टन है।

- चूना पत्थर और खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1972 में ऐसी दर पर चूना पत्थर और डोलोमाइट पर उपकर लगाने और एकत्र करने की व्यवस्था है जो चूना पत्थर और डोलोमाइट के प्रति मीट्रिक टन पर एक रुपये के उत्पाद शुल्क से अधिक न हो। 27.12.2000 से चूना पत्थर और डोलोमाइट पर उपकर की दर एक रुपया है।
- अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 में 6.25प्रतिशत से अनधिक नहीं, समतुल्य आधार पर अभ्रक निर्यात की सभी किस्म के अभ्रक पर सीमा शुल्क के रूप में उपकर की लेवी और वसूली की व्यवस्था है। 01.11.1990 से निर्यात पर यह 4.5 प्रतिशत के समतुल्य है। कल्याण निधियों की संक्षेप में उपलब्धियां तालिका 7.2 में दी गई हैं ।

**तालिका 7.1**

**कल्याण आयुक्त और उनके क्षेत्राधिकार**

| **क्र.सं.** | **क्षेत्र का नाम** | **क्षेत्राधिकार में शामिल राज्य** |
|---|---|---|
| 1. | कल्याण आयुक्त, इलाहाबाद | उत्तर प्रदेश,हिमाचल प्रदेश,पंजाब,जम्मू एवं कश्मीर और उत्तरांचल |
| 2. | कल्याण आयुक्त, बंगलौर | कर्नाटक और केरल |
| 3. | कल्याण आयुक्त, अजमेर | गुजरात,राजस्थान और हरियाणा |
| 4. | कल्याण आयुक्त, भुवनेश्वर | उड़ीसा |
| 5. | कल्याण आयुक्त, कोलकाता | प.बंगाल,असम,त्रिपुरा एवं मेघालय |
| 6. | कल्याण आयुक्त, हैदराबाद | तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश |
| 7. | कल्याण आयुक्त, जबलपुर | मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ |
| 8. | कल्याण आयुक्त, करमा | बिहार और झारखंड |
| 9. | कल्याण आयुक्त, नागपुर | महाराष्ट्र एवं गोवा |

**तालिका 7.2**

| **कल्याण निधियों की उपलब्धियां** | | |
|---|---|---|
| **2005-2006** | | **2006-2007**** |
| कल्याण निधियों का उपयोग | 152.55 करोड़ रुपये | 35.04 करोड़ रुपये |
| उपकर एकत्रीकरण | 161.75 करोड़ रुपये | 88.98 करोड़ रुपये |
| स्वास्थ्य देखरेख प्रसुविधा पर व्यय | 8.42 करोड़ रुपये | 2.09 करोड़ रुपये |
| आवास के लिए स्वीकृत सहायता | 6.49 लाख रुपये | 0.64 लाख रुपये |
| शैक्षिक सहायता पर व्यय | 45.01 करोड़ रुपये | 0.64 करोड़ रुपये |
| मनोरंजन सुविधाओं पर व्यय | 0.08 करोड़ रुपये | 0.007 करोड़ रुपये |

- वर्ष 2006-2007 के आंकड़े अगस्त, 2006 तक के हैं ।
- वर्ष 2006-07 के आंकडे जुलाई, 2006 तक के हैं।